Volume No 7(01)

प्रकरण कमांक 10 /अ–2/16-17

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सावेंर जिला इन्दौर

प्रकरण कमांक 10 / अ–2 / 2016–17

मोहम्मद अजीज पिता मोहम्मद हबीब

पता छोटी ग्वालटोली नवाब बान्द्रा कम्पाउण्ड इंदौर — — आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन — — अनावेदक

[आ दे श]

(पारित दिनांक 26/12/2016)

म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अन्तर्गत

प्रकरण में आवेदक द्वारा ग्राम मुरादपुरा तहसील सांवेर जिला इंदौर स्थित खसरा नम्बर :–

कमांक	भूमि स्वामी	सर्वे नम्बर	परिवर्तित किये जाने वाला रकबा हेक्टर में
1	अजीज पिता मोहम्मद हबीब	30/1	0.106
		30/2	0.106
		30/3	0.107
		30/4	0.107
		30/5	0.107
		30/6	0.107
		Total	0.640

उपरोक्त भूमि को मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अंतर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित करने के आशय से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र के साथ खसरा बी–1 नकल, रजिस्ट्री की छायाप्रति, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश से स्वीकृत अभिन्यास की प्रति प्रस्तुत की गई।

राजस्व अभिलेखो में आवेदक का नाम भूमि स्वामी स्वत्व के रूप में अंकित होने पर प्रकरण में व्यपवर्तन की अनुज्ञा जारी किये जाने के प्रश्न पर अधीक्षक भूमि परिवर्तन इंदौर, को अनापत्ति पत्र प्रेषित करने हेतु पत्राचार किया गया।

01– संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इंदौर द्वारा अपने पत्र कमांक / 9548/एस.पी. / आउट–132 / 16 / नग्रानि / 2016 इंदौर दिनांक

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सांवेर जिला इन्दौर (म.प्र.)

02.11.2016 से आवेदित भूमि पर **औद्योगिक** उपयोग हेतु व्यपवर्तन किये जाने बाबद शर्तो के अधीन अभिन्यास स्वीकृत किया जो शामिल प्रकरण है :–

02– नियत समयावधि में व्यपवर्तन किये जाने हेतु ग्राम पंचायत से नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही।

03– अधीक्षक/राजस्व निरीक्षक भूमि परिवर्तित सांवेर द्वारा आवेदित भूमि की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, अधीक्षक/राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में बताया की :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि में शासकीय या अन्य भूमि शामिल नही है।

(2) प्रश्नाधीन भूमि का पटवारी नक्शे से मिलान होता है।

(3) प्रश्नाधीन भूमि मौके पर रिक्त है।

(4) प्रश्नाधीन भूमि में वृक्ष नही है।

(5) प्रश्नाधीन भूमि का इस न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित नही है।

ग्राम मुरादपुरा की प्रश्नाधीन भूमि पर बाजार मूल्य अनुसार भू–राजस्व का पुनः निर्धारण रूपये 4608/- प्रति वर्ष 2016-17 से, पंचायत उपकर 2304/- प्रति वर्ष 2016-17 से एवं प्रीमियम रूपये 23040/- कायम किया जाना अधीक्षक/राजस्व निरीक्षक भूमि परिवर्तन द्वारा प्रतिवेदन में प्रस्तावित किया गया है।

अतएव अधीक्षक/राजस्व निरीक्षक भूमि परिवर्तन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम मुरादपुरा तहसील सांवेर जिला इंदौर स्थित खसरा नम्बरः–

क.	भूमि स्वामी	सर्वे नम्बर	परिवर्तित किये जाने वाला रकबा हेक्टर में
1	अजीज पिता मोहम्मद हबीब	30/1	0.106
		30/2	0.106
		30/3	0.107
		30/4	0.107
		30/5	0.107
		30/6	0.107
		Total	0.640

भूमि पर भू–राजस्व का पुनः निर्धारण रूपये 4608/- प्रति वर्ष 2016-17 से, पंचायत उपकर 2304/- प्रति वर्ष 2016-17 से एवं प्रीमियम रूपये 23040/- कायम कर प्रकरण में मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अंतर्गत आवेदित भूमि को

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सांवेर, जिला-इन्दौर (म.प्र.)

<u>औधोगिक</u> प्रयोजन में व्यपवर्तित करने की अनुज्ञा निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

01– प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि का उपयोग **<u>औधोगिक</u>** प्रयोजन हेतु ही किया जा सकेगा अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जा सकेगा।

02– प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कायम पुनः निर्धारण/प्रीमियम की राशि आदेश दिनांक के तुरंत बाद शासकीय कोष में जमा करना अनिवार्य है।

03– भू स्वामी स्वत्व संबधी कोई विवाद होने पर या गलत जानकारी पाई जाने पर व्यपवर्तन आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

04– यदि प्रार्थी को इस अनुज्ञा के अतिरिक्त किसी भी शासकीय/अर्द्ध शासकीय विभागों/संस्थानों से प्राप्त करना आवश्यक हो तो वह भी प्राप्त करना होगी।

05– प्रार्थी द्वारा निर्माण/विकास कार्य की अनुमति विधिवत स्थानीय निकाय से प्राप्त करना अनिवार्य होगी। उसके बाद ही मौके पर विकास/निर्माण किया जावेगा।

06– प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित उपयोग से जनहित में किसी भी प्रकार की प्रतिकुल प्रभाव उत्पन्न नही हो ऐसी व्यवस्था स्वयं को करना होगी।

07– प्रार्थी को संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इंदौर से स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार ही मौके पर विकास/निर्माण किया जा सकेगा एवं संलग्न पत्र में अंकित संपूर्ण शर्तो का अक्षरसः पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

08– म.प्र. भूमि व्यपवर्तन नियम 1962 की कंडिका 4 के उप नियम (3) का पालन करते हुए निर्माण अवधि के अंदर अंतर होने पर अंतर की राशि जमा करानी होगी।

09– प्रार्थी निर्मित क्षेत्र के अतिरिक्त खुली भूमि पर सघन वृक्षारोपण लगाना होगा।

10– यदि उक्त भूमि को परिवर्तित किये जाने से स्थल पर लोक न्यूसेंस होता है तो ऐसी दशा में डायवर्शन अनुज्ञा निरस्त की जावेगी।

11– भविष्य में यदि उपरोक्त भूमि शासन की किसी योजना में शामिल या प्रस्तावित की जाती है तो तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

12– प्रश्नाधीन भूमि के आसपास स्थित शासकीय कांकड भूमि, रास्ता, व नाला तथा चरनोई की शासकीय भूमि का उपयोग बिना सक्षम अनुमति के नही किया

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

जावेगा तथा शासकीय भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही किया जावेगा।

13– प्रश्नाधीन भूमि को छोटे छोटे भूखण्डो के रूप में विभाजित कर विकय करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, ऐसा करते पाये जाने पर यह व्यपवर्तन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

उपरोक्त व्यपवर्तित की अनुज्ञा के साथ निर्धारित शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह आदेश निरस्त माना जावेगा। बाद प्रकरण में नियमानुसार म.प्र.भू.रा.सं. का 1959 की धारा 172(4)(5)(6) के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 26/12/2016 को घोषित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सांवेर जिला इन्दौर

पृ.क./3673/री.सा/16 सांवेर, दिनांक 26/12/16

प्रतिलिपिः–

(1) तहसीलदार सांवेर को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल खसरे में रेकार्ड दुरूस्ती करायी जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
(2) एसएलआर व्यपवर्तन कलेक्टोरेट इंदौर की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(3) जिला पंजीयक इंदौर/उप पंजीयक सांवेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(4) पटवारी ग्राम मुरादपुरा तहसील सांवेर की ओर भेजकर लेख है कि खसरे/बी–1 एवं कम्प्यूटर शाखा में अमल कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
(5) आवेदक मोहम्मद अजीज पिता मोहम्मद हबीब पता छोटी ग्वालटोली इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सांवेर जिला इन्दौर

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

क्लॉथ मार्केट शाखा, इंदौर - 452002
Cloth Market Branch, Indore - 452002
A
IFS Code : CBIN0280763

CD

सभी शाखाओं पर देय / PAYABLE AT ALL BRANCHES

VALID FOR THREE MONTHS ONLY

PAY Collector Diversion Indore

रुपये RUPEES Two Thousand Three hundred & four Rupees only

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
0	3	1	2	2	0	1	6

या धारक को OR BEARER

खा.सं. A/c No. 3389515278

अदा करें ₹ 2304=00

For Fresh Eggs & Chicken Supplier,

Proprietor.
कृपया हस्ताक्षर ऊपर करें / Please sign above

⑈397739⑈ 452016002⑆

29

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

क्लॉथ मार्केट शाखा, इंदौर - 452002
Cloth Market Branch, Indore - 452002
A
IFS Code : CBIN0280763

CD

सभी शाखाओं पर देय / PAYABLE AT ALL BRANCHES

PAY Collector Diversion Indore

रुपये RUPEES Twenty Seven thousand Six hundred & Fourty Eight Rupees Only

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
0	3	1	2	2	0	1	6

या धारक को OR BEARER

खा.सं. A/c No. 3389515278

अदा करें ₹ 27,648=00

For Fresh Eggs & Chicken Supplier,

Proprietor.
कृपया हस्ताक्षर ऊपर करें / Please sign above

⑈397737⑈ 452016002⑆

29